

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :-

हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:-118/17

दायर दिनांक:- 18.10.2017

जीसीएमएस नं. 2017/00273

उनवान

रामनिवास पुत्र जमनालाल जाति राय निवासी जाट की सराय तहसील
हिण्डौन जिला करौली राज0

सायलान

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

गैरसायलान-02

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 25.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में सायलान व सायलान वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार सायलान व सायलान वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद सायलान व सायलान वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 23.06.2022 से बहस में विचाराधीन चल रहा है। जिससे जाहिर होता है कि सायलान व सायलान वकील प्रकरण आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है। अतः मुकदमा न0 188/17 रामनिवास बनाम तहसीलदार अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन
